राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड)(91) / डीएलबी / 19 / दिनांक :–

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राज्य (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(50)राज–6 / 2016 / 02 दिनांक 21.07.17 के निर्देशानुसार सीकर जिले के कस्बा नीम का थाना के खसरा संख्या 1215 / 2 एवं 514 में समपार फाटक संख्या 76 पर प्रस्तावित आर.यू.बी. के निर्माण के प्रयोजनार्थ निम्न भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है :–

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्तीधारक का नाम	खसरा नं.	भूमि का क्षैत्रफल (वर्गमीटर में)
01.	खाली प्लाट	श्री बाबू लाल पुत्र श्री केदारमल महाजन	1215 / 2	22.78
02.	दुकान	श्री अशोक पुत्र श्री रामेश्वर यादव	1215 / 2	12.15
03.	दुकान, मकान व खाली भूमि	श्री अशोक कुमार, श्री गोकुलराम, श्री सुरज्ञान, श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री महाबक्स 4 / 5, श्री मुकेश, श्री सोमनाथ पुत्र श्री सीजाराम 1 / 5 कोम–कुमावत (चेजारा) निवासी–नीम का थाना	1215 / 2	11.18, 18.26, 98.34, 28.84 84.50 कुल–205.12
04.	दुकान व बेसमेन्ट	श्री दौलतराम, श्री राजेश पुत्र श्री ग्यारसी लाल, कोम कुमावत (चेजारा), निवासी–नीम का थाना	1215 / 2	65.69 10.86 कुल–76.55
05.	खाली भूमि (रास्ता)	श्री बजरंग लाल पुत्र श्री रामेश्वर 1 / 3, श्री नाथू पुत्र श्री प्रहलाद 1 / 3, श्री दौलतराम, श्री राजेश पुत्र श्री ग्यारसी लाल 1 / 3 कोम चेजारा, कुमावत	1215 / 2	18.18
06.	दुकान व खाली भूमि	श्री बजरंग लाल पुत्र श्री रामेश्वर, श्री नाथूराम पुत्र श्री प्रहलाद, जाति कुमावत (चेजारा), निवासी–नीम का थाना	1215 / 2	61.47 37.59 कुल–99.06
07.	तिबारा व खाली भूमि	श्री औंकारमल पुत्र श्री महादेव हिस्सा –167 / 5600, श्री महेश चन्द पुत्र श्री औंकारमल हिस्सा–1 / 2, श्री रामावतार पुत्र श्री औंकारमल हिस्सा–241 / 560, श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री रामावतार हिस्सा–223 / 5600, जाति–महाजन, निवासी–नीम का थाना	514	1903.16

यह कि राज्य सरकार उक्त भूमि के सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु उप खण्ड अधिकारी, नीम का थाना जिला सीकर को प्राधिकारी नियुक्त करती है।

उपरोक्त उप खण्ड अधिकारी प्रस्तावित भूमि से प्रस्तावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात की निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

01. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजित समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

02. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के उपरान्त जन सुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप में रिकार्ड किया जावेगा।
03. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
04. सामाजित समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवो में सम्बन्धित नगर पालिका के परामर्श से की जावेगी।
05. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
06. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।
07. राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम–5 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र :–
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी :–
1. नगर पालिका, नीम का थाना

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः भूमि/एफ.7(ड)(91)/डीएलबी/19/4256-4264 दिनांक :– 04/10/2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
01. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
02. जिला कलक्टर, सीकर।
03. उप खण्ड अधिकारी, नीम का थाना।
04. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
05. कार्यकारी निदेशक, RUIFDCO जयपुर।
06. तहसीलदार, नीम का थाना।
07. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नीम का थाना को निर्देशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से) करवाने के साथ ही संबंधित नगर पालिका, जिला कलक्टर तथा उप खण्ड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना को उपलब्ध करायें।
08. विभागीय प्रोग्रामर इस विज्ञप्ति का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।

(डा0 प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त निदेशक